न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 271/2024

अनवान : –

1. राजु पुत्र नोरंगराम जाति जाट साकिन विरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. मांगीराम पुत्र मामराज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. कृष्णा पुत्री उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. खिवणी पुत्री उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. पत्तराम पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. बनवारी पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. श्योपाल पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. सजना पुत्री उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. सुमित्रा पत्नी गहेंन्द्र जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
8. सुशील पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
9. प्रियंका पुत्री महेन्द्र जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
10. बसकरो पुत्री महेन्द्र जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

–असल अप्रार्थीगण

11. चन्दो पुत्री नोरंगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
12. पप्पु पुत्र नोरंगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
13. शारदा पुत्री नोरंगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर
14. शांन्ति पत्नी हंसराज जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
15. हेतराम पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
16. राजबाला पुत्री हंसराज आति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
17. मैना पत्नी महेन्द्र जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
18. रणवीर पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
19. मंन्जू पुत्री महेंन्द्र जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
20. अनसुईया पुत्री महेन्द्र जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
21. जीताराम पुत्र सुलतानराम जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
22. धर्मपाल पुत्र सुलतानराम जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
23. रामेश्वरलाल पुत्र जीता जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
24. महावीर पुत्र कानाराम जति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
25. संदीप पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर
26. सीताराम पुत्र जमना पुनी बेगराज जाति जाट साकिन चोटाला तहसील बनवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
27. प्रेम पुत्र जमना पुत्री बेगराज जाति जाट साकिन चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
28. रेशमा पुत्री जमना पुत्री बेगराज जाति जाट साकिन चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
29. विमला पुत्री जमना पुत्री बेगराज जाति जाट साकिन चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

30. सरबती पुत्री जमना पुत्री बेगराज जाति जाट साकिन चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
31. कमलादेवी पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर
32. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर
34. उप पंजियक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **सायल**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय **दिनांकः** 24/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प.न. 138/50 (765) कि.न. 9. 11 ता 13, 18 ता 23 की 10 बिघा प.न. 138/42 (766) कि.न. 15 ता 18, 23 ता 25 की 7 बिघा प.न. 138/43 (800) कि.न. 3 ता 8, 14 ता 17, 24 की 16 बिस्वा, 25 की 16 बिस्वा कुल 11—12 बिधा प.न. 138/51 (801) कि.न. 1 ता 3, 8 ता 10, 11 ता 13, 19 ता 20 की 11 बिधा कुल तादादी 39—12 बिघा भूमि में लीलाराम, कालूराम पुत्र काना, वाधो, लिखमी पुत्रियान् काना ब.हि.ब. 264 हिस्सा, बेगा वल्द दुदा 200 हिस्सा. रामेश्वर पुत्र जीता 64 हिस्सा, उदाराम पुत्र जीवणराम 264 के खातेदार कास्तकार थे।

विवादित भूमि में से प.न. 138/42 (766) किं.न. 23 की 7 बिस्वा प.न. 138/43 (800) कि.न. 3 की 16 बिस्वा, 4 की 3 बिस्वा, 6 की 2 बिस्था, 7 की 16 बिस्वा, 8 की 4 बिस्वा, 14 की 6 बिस्वा, 15 की 14 बिस्वा, 16 की 11 बिस्वा, 25 की 3 विस्वा, प.न. 138/51 (801) कि.न. 11 की 1 बिस्वा, 20 की 8 बिस्वा कुल 4 बिधा 11 बिस्वा यानि 91 हिस्सा भूमि गन्धेली से साहवा पेयजल योजना (नाहर) में अवाप्त कर ली गई थी जिसका मुआवजा 4200 रूपये प्रति बिधा के हिसाब से 19110 रूपये तैय किया गया था जो सभी कास्तकारों की सहमति से उदाराम पुत्र जीवण जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ने प्राप्त किया था अवाप्त सुदा भूमि इन्तकाल न. 127 द्वारा गन्धेली से साहवा पेयजल योजना (नहर) के नाम अलग से दर्ज हो चुकी है

लेकिन जमाबन्दी में दर्ज कास्तकारों की हिस्सा कसी कम नहीं की गई कानूनन् अवाप्त सुदा भूमि गन्धेली से साहवा पेयजल योजना (नहर) के नाम अलग से दर्ज होने पर उदाराम पुत्र जीवण जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर के 264 हिस्सा में से 91 हिस्सा कम होना चाहिए था। उदाराम पुत्र जीवण जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर ने अपने 264 हिस्सा में से 60 हिस्सा भूमि भागीरथ पुत्र अर्जुनराम जाति सुधार को बैंय कर दी इन्तकाल न. 539 संलग्न है एवं भागीरथ पुत्र अर्जुनराम जाति सुधार ने 60 हिस्सा गैरसायल न. 21 जीताराम पुत्र सुलतानराम को बैय कर दी उदाराम पुत्र जीवण जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर का विवादित भूमि में 264 हिस्सा था जिसमें से 91 हिस्सा भूमि गन्धेली से साहवा पेयजल योजना (नहर) में अवाप्त कर ली गई एवं 60 हिस्सा भूमि भागीरथ पुत्र अर्जुनराम जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सुथार को बैय कर दी अब विवादित भूमि में उनका 113 हिस्सा शेष रहता है उदाराम पुत्र जीवण जाति जाट साकिन बिरकाली फोत हो चुका है जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 1 ता 6 एवं महेंद्र पुत्र उदाराम हुए जिसमें महेंद्र पुत्र उदाराम फोत हो चुका है जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 7 ता 10 ही है। विवादित भूमि में लीलाराम, कालूराम पुत्रगण कानाराम, बाधो, लिछमी पुत्रियान् कानाराम ब.हि.ब. 264 हिस्सा के खातेदार कास्तकार थे उन्होने अपना 264 हिस्सा हंसराज पुत्र जर्मनराम जाति जाट साकिन कर्मशाना को बैय कर दिया इन्तकाल न. 174 संलग्न है एवं हंसराज पुत्र जर्मनराम जाति जाट साकिन कर्मशाना ने अपने 264 हिस्सा में से 60 हिस्सा अमृतलाल, रामलाल, बनवारीलाल पुत्रगण चेतराम को बैय कर दिया एवं 174 हिस्सा गैरसायल न. 21 ता 22 को जीतराम, धर्मपाल पुत्रगण सुलतानराम को बैय कर दिया एवं अमृतलाल के वारीसान एवं रामलाल, बनवारीलाल पुत्रगण चेतराम ने अपना 60 हिस्सा गैरसायल न. 21 जीताराम को बैय कर दिया अब हंसराज पुत्र जर्मनराम के पास 30 हिस्सा शेष रहता है। बेगराज पुत्र दुदा विवादित भूमि में 200 हिस्सा का खातेदार कास्तकार था जो फोत हो चुका है जिसके जायज वारीस नन्दराम, मामराज, नोरंगराम पुत्रगण बेगराज व जमना पुत्री बेगराज हुए जो फोत हो चुके है नन्दराम की जायज वारीस अकेली गैरसायला न. 31 ही है एवं मामराज के जायज वारीस सायल न. 2 एवं पेमा पुत्री मामराज हुए पेमा पुत्री मामराज ने अपना हक व हिस्सा सायल न. 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए सायल न. 2 अकेला 50 हिस्सा का हकदार हुआ नोरंगराम पुत्र बेगराज के जायज वारीस सायल न. 1 व गैरसायल न. 11 ता 13 ही है एवं जमना पुत्री बेगराज के जायज वारीस गैरसायल न. 26 ता 30 ही है। हंसराज पुत्र जर्मनराम जाति जाट साकिन कर्मशाना फोत हो चुका है जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 14 ता 16 एवं महेन्द्र पुत्र हंसराज हुए जिसमें महेन्द्र पुत्र हंसराज फोत हो चुका है जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 17 ता 20 ही है। गैरसायला न. 31 कमलादेवी पुत्री नन्दराम का विवादित भूमि में 50 हिस्सा था जिसमें से 44 हिस्सा गैरसायल न. 25 को बैय कर दिया एवं सायल न. 2 का विवादित भूमि में 50 हिस्सा था जिसमें से 44 हिस्सा गैरसायल न. 24 को बैय कर दिया अब उनका विवादित भूमि में 6–6 हिस्सा शेष है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प.न. 138/42 (766) कि.न. 15 ता 18 की 1.0120, 23/1 की 0.1640, 24, 25 की 0.5060 प.न. 138/43 (800) किं.न. 3/1 की 0. 0400, 3/3 की 0.0110, 4/1 की 0.2150, 5 की 0.2530, 6/1 की 0.2270, 7/1 की 0.0130, 8/1 की 0.2020, 14/2 की 0.1770, 15/2 की 0.0380, 15/3 की 0.0380, 16/2 की 0. 1140, 17 की 0.2530, 24/1 की 0.2020, 25/2 की 0.0900, 25/3 की 0.0740 प.न. 138/50 (765) कि.न. 9, 11 ता 13, 18 ता 23 की 2.5300 प.न. 138/51 (801) कि.न. 1 ता 3, 8 ता 10 की 1.5180, 11/2 की 0.2400, 12 ता 13 की 0.5060, 19 की 0.2530, 20/2 की 0.1520 कुल तादादी 8.8660 हैक्टेयर भूमि में सायल न. 1 व गैरसायल न. 11 ता 13 ब.हि.ब. 50 हिस्सा, सायल न. 2 का 6 हिस्सा, गैरसायल न. 1 ता 6 ब.हि.ब. 96–6/7 हिस्सा, गैरसायल न. 7 ता 10 ब.हि.व. 16–1/7 हिस्सा, गैरसायल न. 14 ता 16 ब.हि.ब. 22–1/2 हिस्सा, गैरसायल न. 17 ता 20 ब.हि.व. 7–1/2 हिस्सा, गैरसायल न. 21 का 207 हिस्सा, गैरसायल न. 22 का 87 हिस्सा, गैरसायल न. 23 का 64 हिस्सा, गैरसायल न. 24 का 44 हिस्सा, गैरसायल न. 25 का 44 हिस्सा, गैरसायल न. 26 ता 30 ब.हि.ब. 50 हिस्सा, गैरसायल न. 31 का 6 हिस्सा के काबिज खातेदार कास्तकार है। विवादित भूमि में से 91 हिस्सा भूमि गन्धेली से साहवा पेयजल योजना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

(नहर) में अवाप्त कर होने पर उदाराम पुत्र जीवण जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर का 264 हिस्सा में से 91 हिस्सा भूमि कम होनी चाहिए थी जो नहीं की गई एवं जमांबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 में दर्ज कास्तकारो के हिस्सा अनुसार 91 हिस्सा ऑनलाईन जमांबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 तैयार करते समय अनुपात के हिसाब सभी कास्तकारो का हिस्सा कम कर दिया गया है जबकि 91 हिस्सा अकेले उदाराम पुत्र जीवण के वारीसान प्रतिवादी न. 1 ता 10 का कम होना चाहिये था उक्त हिस्सा गलत दर्ज होने के कारण सपायलान के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए सायलान अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवा कर विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। विवादित भुमि का खाता एवं लगान मुस्तरका होने के कारण लगान कास्त एवं सिंव का झगड़ा रहता है इसलिए सायलान अपने हक व हिस्सा की भूमि का मुताबिक कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाने के अधिकारी है। 14–यह कि गैरसायल न. 1 ता 10 के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित को किसी भूमाफिया लोगो को रहन, बैय करने कि सरेआम धमकी देते है यदि गैरसायल अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है इसलिए सायलान, गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र मयं शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान के खिलाफ इस अमर कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वोड विवादित भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प.न. 138/42 (766) कि. न. 15 ता 18 की 1.0120, 23/1 की 0.1640, 24, 25 की 0.5060 प.न. 138/43 (800) कि.न. 3/1 की 0.0400, 3/3 की 0.0110, 4/1 की 0. 2150, 5 की 0.2530, 6/1 की 0.2270, 7/1 की 0.0130, 8/1 की 0.2020, 14/2 की 0. 1770, 15/2 की 0.0380, 15/3 की 0.0380, 16/2 की 0.1140, 17 की 0.2530, 24/1 की 0. 2020, 25/2 की 0.0900, 25/3 की 0.0740 प.न. 138/50 (765) कि.न. 9, 11 ता 13, 18 ता 23 की 2.5300 प.न. 138/51 (801) कि.न. 1 ता 3, 8 ता 10 की 1.5180, 11/2 की 0.2400, 12 ता 13 की 0.5060, 19 की 0.2530, 20/2 की 0.1520 कुल तादादी 8.8660 हैक्टेयर भूमि को रहन बैय एवं मुंतकिल नहीं करें एवं मोका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 625/519 की कुल 8.8660 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अवाप्तशुदा भूमि में सभी काश्तकारों की सहमति से मुआवजा व हिस्साकसी कम की जाकर ही नामान्तरण संख्या 127 दर्ज हुआ है केवल उदाराम की भूमि कम नही हो सकती सभी काश्तकारों [illegible] मुआवजा प्राप्त किया है जिससे सभी काश्तकारों की भूमि कम की गई थी। गै[illegible] वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है वादग्रस्त भूमि वादीगणका किसी [illegible] हिस्सा नही है एवं रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जा[illegible] नही की जा सकती है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि में से 91 हिस्सा भूमि साहवा पेयजल योहन नहर में अवाप्त की गई जिसका मुआवजा सभी काश्तकारों की सहमति से उदाराम पुत्र जीवण ने प्राप्त किया एवं अवाप्त शुदा भूमि का नामान्तरण स0 127 से दर्ज हुआ जिसमें सभी काश्तकारों की भूमि कम की गई है जिसकी सिर्फ उदाराम के हिस्सा से भूमि कम करनी थी क्योकि मुआवजा सिर्फ उदाराम द्वारा ही प्राप्त किया गया था। पत्रावली में प्रस्तुत फर्द अहकाम अनवानी लीलूराम आदि बाबत मुआवजा के मुताबिक मुआवजा राशि उदाराम द्वारा प्राप्त की गई है एवं अवाप्त शुदा भूमि का नामान्तरण स0 127 सन 1985 में तस्दीक हुआ है जिसमें सभी काश्तकारों की भूमि कम की गई है लेकिन अप्रार्थी द्वारा सन 1985 के हिस्सा कस्सी बात सन 2024 में इतने सालों बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की न्यायोचित प्रतीत नही होता है क्योंकि प्रार्थीगण को ऐतराज होता है तो वरवक्त ही वाद/प्रार्थना पत्र पेश करते। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 22.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर